हो सकती है परन्तु वर्तमान पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 2014-15,2015-16 एवं 2016-17 में कुल चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होगी।

- स्नातकोत्तर/शोध उपाधि के लिये छात्रवृत्ति अधिकतम दो वर्ष के लिये देय होगी।

संभागीय आवासीय विद्यालयों का संचालन

यह योजना प्रदेश के समस्त 10 संभागीय मुख्यालयों पर संचालित है। सर्वप्रथम 07 आवासीय विद्यालय वर्ष 2003 में प्रारंभ हुए हैं। तीन संभागीय मुख्यालय क्रमशः होशंगाबाद, शहडोल एवं मुरैना में जुलाई 2013 से प्रारंभ किये गये। इस योजनांतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को जिनके द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किये गये हों, को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय की सीट क्षमता 280 (बालक 140 एवं बालिका 140) निर्धारित की गई है।

वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 1418.19 लाख वर्ष 2013-14 में रुपये 1741.90 लाख तथा वर्ष 2014-15 में रुपये 1383.41 लाख का प्रावधान किया गया। आवासीय विद्यालय के 10 एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं का परीक्षाफल 90 से 97 प्रतिशत रहा है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

अनुसूचित जाति के स्नातक युवकों को राज्य एवं केन्द्र शासन की सिविल सेवा परीक्षाओं में चयन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है :-

संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रुपये 40,000/- तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रुपये 60,000/-।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रुपये 20,000/- तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रुपये 30,000/-।

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 46 अभ्यर्थियों को रुपये 17.05 लाख, वर्ष 2013-14 में 262 अभ्यर्थियों को रुपये 67.01 लाख तथा वर्ष 2014-15 में 210 अभ्यर्थियों को रुपये 150.67 लाख की राशि वितरित की गई।

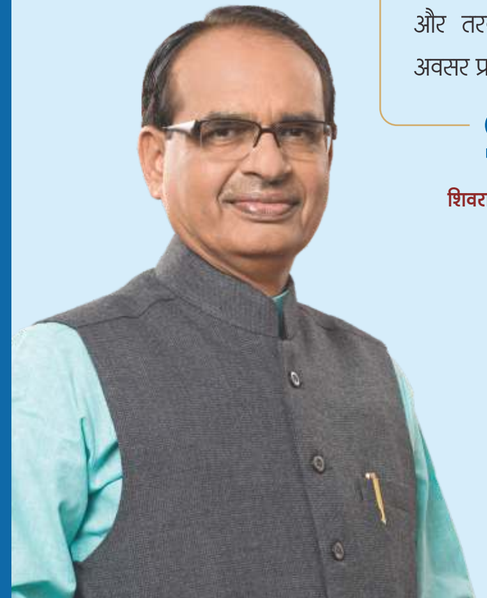

> राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा से इन्हें समाज में सम्मान, बराबरी का हक और तरक्की के समान अवसर प्राप्त होंगे।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

सबके साथ, सबका विकास

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की शिक्षा और प्रगति के बेहतर अवसर

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क का प्रकाशन

छात्रावासी सुविधाएं एवं नये निर्माण

- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीट क्षमता वाले 89 प्री मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।
- इन संस्थाओं से 4450 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- गत वर्ष भी 179 नये प्री मैट्रिक छात्रावास स्वीकृति किये गये थे जिनमें 8950 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिला।
- महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ देने हेतु सरकार द्वारा 180 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इनमें 9625 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त 43 नये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये गए हैं जिसमें 2580 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- गत वर्ष भी 13 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की गई थी।
- सभी आवासीय संस्थाओं में सर्व-सुविधायुक्त शासकीय भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।
- भवन विहीन 85 कन्या छात्रावासों तथा 15 बालक छात्रावासों के शासकीय भवन स्वीकृत किये गये हैं।
- प्रत्येक भवन की निर्माण लागत एक करोड़ 98 लाख रुपये है।
- इन भवनों के निर्माण होने पर 5000 छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना केन्द्र द्वारा संचालित है।
- योजना में प्रतिवर्ष 5 बालक और 5 कन्या छात्रावास भवन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।
- विशेष प्रयास से प्रदेश में 10 बालक और 10 कन्या छात्रावास भवन केन्द्र से स्वीकृत कराये गये हैं।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय पर छात्रावास भवन निर्माण के लिए कुल 51 छात्रावास निर्माण के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं।
- छात्रावास/आश्रमों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 10 प्रतिशत सीटों पर गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वर्गों के परिवार के बालक/बालिकाओं को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है।
- सामाजिक समरसता के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को एक ही छात्रावास में रखा जाता है। इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है।

छात्रावासी- सीटों का विस्तार एवं सुरक्षा योजना

- छात्रों के लिए पूर्व से 1705 छात्रावास और आश्रम संचालित हो रहे हैं। इन संस्थाओं में 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों को शैक्षणिक और आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- पूर्व से संचालित छात्रावासों में भी पिछले 3 वर्षों से 8000 नई सीटों की वृद्धि की गई थी।
- आवासीय संस्थाओं में 38 हजार से अधिक छात्रायें निवास करती हैं।
- इन छात्राओं की सुरक्षा के लिए समस्त कन्या छात्रावासों के शासकीय भवनों में छात्रावास अधीक्षक आवास गृह, चौकीदार आवास गृह तथा बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इस सुविधा से छात्रावास के कर्मचारी छात्रावास परिसरों में ही निवास करेंगे।
- प्रत्येक कन्या छात्रावास में एक महिला चौकीदार की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से की जा रही है।
- भवन विहीन कन्या छात्रावासों में शासकीय भवन निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रावीण्य उन्नयन एवं आवास सहायता योजना

- पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीट संख्या के कारण प्रवेश से वंचित रहने वाले ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालयीन कक्षाओं में नियमित प्रवेश लेते हैं, को आवास सहायता योजना लागू की गई।
- योजना में जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी, प्रतिमाह, जिला मुख्यालयों पर 1250 रुपये प्रति विद्यार्थी, प्रतिमाह, तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी, प्रतिमाह की दर से आवास सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में गत वर्ष 7504 तथा इस वर्ष 9039 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- मेधावी छात्रों को उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तथा भोपाल संभागीय मुख्यालयों पर एक बालक और एक बालिकाओं के लिए (कुल 8) प्रावीण्य उन्नयन छात्रावास एवं छात्रावास भवन स्वीकृत किये गये हैं।
- योजना में 542 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
- प्रत्येक विद्यार्थी पर 9 हजार रुपये बोर्डिंग-लॉजिंग के लिए 3 हजार रुपये पॉकेट मनी, 3 हजार रुपये स्टेशनरी तथा 10 हजार रुपये कोचिंग के लिए व्यय होंगे।
- भोपाल में सुपर ग्रुप बंसल क्लासेस, ग्वालियर में आई.आई.टी. केमिस्ट्री और इंदौर में दांगी कोचिंग क्लासेस द्वारा कोचिंग दी जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में विशेष प्रावधान

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस, बी.ई., बी.फार्मा, एम.फार्मा, नर्सिंग, पॉलीटेक्निक, बी.एड. पाठ्यक्रमों में अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर भी अनिवार्य शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग

- आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए 100 विद्यार्थियों को कोचिंग की योजना स्वीकृत की गई है।
- कोचिंग दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं यथा बाजीराव एण्ड रवि इंस्टीट्यूट फॉर आई.ए.एस. ओल्ड राजेन्द्र नगर, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम प्रा.लि. किंग्सवे कैम्प, मुखर्जी नगर, दृष्टि व विजन 621 प्रथम तल मुखर्जी नगर, निर्माण आई.ए.एस. 624 द्वितीय तल मुखर्जी नगर, कैरियर प्लस एजुकेशन सोसायटी अंशल बिल्डिंग मुखर्जी नगर में दिलाई जा रही है।
- इस वर्ष 85 विद्यार्थी कोचिंग का लाभ ले रहे हैं।
- दिल्ली में कोचिंग संस्थाओं में शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति योजना

- प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने की छात्रवृत्ति योजना में संशोधन कर उसे ज्यादा कारगर और प्रभावी बनाया गया है।
- प्रतिवर्ष चयनित किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 के स्थान पर अधिकतक 50 की गई है। चयन सूची तीन वर्ष तक के लिये वैध रहेगी।
- किसी भी वर्ष में चयनित अभ्यर्थियों में से भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50 से अधिक भी